

कार्यालय उप वन संरक्षक, हनुमानगढ़

क्रमांक : एफ()उवस/सर्वे/2017-18/ 6652

दिनांक : 21/2/2018

श्रीमान् अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए
राजस्थान जयपुर

विषय :- वन भूमि पर प्रस्तावित सडक गांव ढाणी रायकान से ढाणी राणासर के संबंध में
(ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/30198/2017)

प्रसंग :- सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति रावतसर का पत्रांक एसपीएल 11 दिनांक 21.02.18

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि वन भूमि पर प्रस्तावित सडक गांव ढाणी रायकान से ढाणी राणासर हेतु पूर्व में 0.38 है0 वन भूमि प्रत्यावर्तन के संबंध में एफआरए प्रमाण पत्र श्रीमान् जिला कलक्टर हनुमानगढ़ द्वारा जारी किया गया था किन्तु यूजर एजेंसी सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति रावतसर द्वारा अवगत करवाया गया है कि वास्तविक रूप से गणना करने पर मिसिंग लिंक सडक निर्माण ढाणी रायकान से ढाणी राणासर तक 0.375 है0 वन भूमि प्रत्यावर्तन की आवश्यकता बतायी गयी है। वास्तविक रूप से प्रत्यावर्तन की जाने वाली वन भूमि के संबंध में संशोधित एफआरए प्रमाण पत्र श्रीमान् जिला कलक्टर हनुमानगढ़ द्वारा जारी किया गया है। संशोधित एफआरए प्रमाण पत्र संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :- उक्तानुसार

भवदीय

(सुपोंग शशी) IFS
उप वन संरक्षक
हनुमानगढ़

क्रमांक/सम/

दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान् सम्भागीय मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर।
2. सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, रावतसर को प्रेषित कर लेख है कि श्रीमान् जिला कलक्टर हनुमानगढ़ द्वारा जारी संशोधित मूल एफआरए प्रमाण पत्र कार्यालय अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए राजस्थान जयपुर में आगामी कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करे।

(सुपोंग शशी) IFS
उप वन संरक्षक
हनुमानगढ़

Form -I
(for linear Projects)
Government of Rajasthan
Office of the District Collector, Hanumangarh

No. 1006

Date 21/2/2018

To whom so ever it may concern

In compliance of the ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(Pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on the submission of the evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional Forest Dweller (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.375** hector of forest land proposed to be diverted in favour of **Krishi Upaj Mandi, Rawatsar** for the construction of **M/L Road Dhani Raikan to Dhani Rannasar** in Hanumangarh district falls within jurisdiction of village Sirangsar, tehsil Nohar.

It is further certified that:-

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.375 hectar of the forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee (s) Gram Sabha (s), Sub Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to 2 respectively.
- (b) The diversion of the forest land for facilities managed by the government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: as above.


Signature
(Prakash Rajpurohit, IAS)
जिला कलेक्टर
हनुमानगढ़